ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई

रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, बख्तियारपुर (पटना)

(पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अंगीभूत एवं स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र)

www.rlsycollegebakhtiyarpur.ac.in Email Id:- rlsybkp@gmail.com

पत्रांक– 256/24 दिनांक– 10.05.2024

कार्यालय आदेश

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के **पत्रांक R/PPU/869/24 दिनांक 10/05/2024** के आलोक में महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा आराम हेतु चिकित्सीय सलाह/परामर्श (पुर्जा) प्रमाण–पत्र के आधार पर अर्द्धवैतनिक (Half Pay Leave) अवकाश को परिवर्तित करते हुए परिवर्तित अवकाश (Commuted Leave) स्वीकृत करने का प्रावधान है।

पुनः महाविद्यालय में कार्य पर आने के लिए उसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा स्वस्थता (Fitness) प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त योगदान कराया जाना सुनिश्चित है। सभी प्रकार की अवकाश (CL को छोड़कर) प्रत्येक वर्ष के अन्त में संबंधित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी के सेवा–पुस्तिका में प्रविष्ट की जायेगी।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।

10.5.24

प्राचार्य

Principal
R.L.S.Y. College
Bakhtiyarpur, Patna-803212

10/05/2024

PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com
registrar@ppup.ac.in

Ref. No:-...R/PPU/569/24........ Date:-10.05.2024

H.A. Circulate it among the teaching & non-teaching staff.
10.5.24

सेवा में,

प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य,
सभी अंगीभूत एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

विषयः– चिकित्सीय आधार पर परिवर्तित अवकाश के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में चिकित्सा अवकाश नाम से कोई भी अवकाश का प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के भाग–2 के कंडिका–8, 9 एवं 10 के अधीन चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के आधार पर अर्द्धवैतनिक (Half Pay Leave) अवकाश को परिवर्तित करते हुए परिवर्तित अवकाश (Commuted Leave) स्वीकृत करने का प्रावधान है (BSU Act-1976 की प्रति संलग्नित)। किन्तु ऐसा पाया जा रहा है कि महाविद्यालयों से प्रेषित / अग्रसारित आवेदनों में चिकित्सा अवकाश का उल्लेख किया जाता है, जो कि नियमानुकूल नहीं है। इस संदर्भ में आपके द्वारा प्रेषित / अग्रसारित होने वाले आवेदनों के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाई सुनिश्चित करते हुए अग्रसारण किया जाए–

- सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मी के Half Pay Leave की अद्यतन गणना तालिका।
- कुल सेवा अवधि का उल्लेख।
- पंजीकृत चिकित्सक द्वारा आराम हेतु चिकित्सीय सलाह / परामर्श (पुर्जा) प्रमाण–पत्र।
- चिकित्सक द्वारा स्वस्थता (Fitness) प्रमाण–पत्र (प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्नित)।
- अद्यतन सेवा–पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें वर्षवार अवकाश की प्रविष्टि की गई हो।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही किसी भी सेवारत कर्मी का आवेदन चिकित्सीय आधार पर परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति हेतु अग्रसारित करें।

अनुलग्नकः–

- **यथोक्त।**

Shalini
10-5-2024
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
10.05.24

चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य–लाभ हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... जो ....(बिमारी का नाम) से पीड़ित है एवं चिकित्सा हेतु मेरी देख–रेख में चिकित्सारत है। मेरे विचार से स्वास्थ लाभ हेतु इन्हें अवधि/माह .... तक आराम की आवश्यकता है।

चिकित्सक का नाम एवं हस्ताक्षर–.................................

पताः–...

रजिस्ट्रेशन संख्याः–................................

Mobile NO: -....................................

Email Id: -....................................

चिकित्सक द्वारा स्वस्थता–प्रमाणपत्र (फिटनेस प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... स्वास्थ कारणों से चिकित्सा हेतु मेरी देख–रेख में चिकित्सारत रहे है एवं मेरे विचार से दिनांक .... से अपने कार्य हेतु स्वस्थ है।

दिनांकः– .... चिकित्सक का नाम एवं हस्ताक्षर–.................................

पताः–...

रजिस्ट्रेशन संख्याः–................................

Mobile NO: -....................................

Email Id: -....................................